सं.57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक: 07.11.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिनांक 22.12.2003 को या उससे पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 03.03.2023 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021)के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया था, जिसकी नियुक्ति ऐसे पद या रिक्ति के सापेक्ष हुई थी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 22.12.2003 से पूर्व भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था।

2. उक्त कार्यालय ज्ञापन में विकल्प प्रयोग करने की प्रक्रिया हेतु विभिन्न कार्यकलापों, नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने तथा संबंधित सरकारी सेवकों के एनपीएस खाते को बंद करने के लिए कट-ऑफ तारीखें दी गई हैं।

3. नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लेने की समय-सीमा को बढ़ाने के लिए प्राप्त हुए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के सेवकों से प्राप्त विकल्पों पर नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लेने की कट-ऑफ तारीख को बढ़ाकर दिनांक 30.11.2023 तक किया जाए।

4. इस विभाग के दिनांक 03.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अन्य निबंधन और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली
4. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली, सूचनार्थ
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6. वितीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली
7. एनआईसी को इस विभाग के वेबसाईट पर डालने हेतु।